संख्या- 2/1440/49-3-2013-100(14)/2010

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06दिसम्बर, 2013

विषय: एन0सी0डी0सी0 द्वारा दिये गये ऋणो के एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत समायोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-390/लेखा, दिनांक 27सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों के एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत समायोजन हेतु मा0 मंत्रि -परिषद द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 17-6-2013 के अनुसार कुल देय धनराशि रू0 4707.92 लाख में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2353.96 लाख की स्वीकृति निम्न शर्तो पर शासन द्वारा प्रदान की जाती है कि यदि निर्धारित अवधि में आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 द्वारा अवशेष रू0 18.05 करोड़ की धनराशि का भुगतान विभागीय श्रोतों से एकत्रित नहीं कर पाते हैं और इसके कारण ओ0टी0एस0 निरस्त होता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, का होगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए-800-अन्य कर्ज-03-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमो/स्वायत्शासी संस्थाओं के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए सहायता-30-निवेश ऋण से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 के बी-4-121/दस-2013, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 2/1440(1)/49-3-2013-100(14)/2010, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

----2/--

http://srisanadesh.up.nic.in

2- वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त ई0-2,/वित्त ई0-4/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
7- नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in